



HAMIRPUR POLICE



दिनांक-14/09/2020

जिलाबदर की कार्यवाही

07 अभियुक्तों पर जिला बदर की कार्यवाही

थाना पुलिस द्वारा प्रेषित आख्या के आधार पर श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के क्रम में जनपद हमीरपुर के 06 थानों से कुल 07 गुण्डा अभियुक्तों पर जिला बदर की कार्यवाही की गई है। निम्न गुण्डा अपराधियों को जनपद हमीरपुर की सीमा से 06 माह के लिए जिला बदर किया गया है। जिला बदर की अवधि में निम्न अपराधीगण अपने साथ किसी प्रकार का शस्त्र व अग्रेयास्त्र लेकर नहीं चलेंगे एवं आदेशित दिनांक से 06 माह की अवधि तक ना ही जनपद हमीरपुर की सीमा में प्रवेश करेंगे तथा बाहर जनपद में जिस स्थान पर निवास करेंगे उसकी सूचना संबंधित न्यायालय एवं स्थानीय पुलिस को भी देंगे। जिला बदर की अवधि के दौरान यदि इन अभियुक्तगणों की उपस्थिति जनपद में पाई जाती है तो थाना पुलिस द्वारा उनको तत्काल गिरफ्तार करते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक की जाएगी।

~जिला बदर किए गए अपराधियों का विवरण

थाना ललपुरा-

1) विक्रम यादव पुत्र राधेश्याम यादव निवासी ग्राम पौथिया थाना ललपुरा जनपद हमीरपुर को दिनांक-28/08/2020 से 06 माह के लिए जिला बदर किया गया है।

थाना मौदहा-

2) भगवानदीन पुत्र नीलकण्ठ निवासी मु0 कांशीराम कॉलोनी, छिमौली रोड़ थाना मौदहा जनपद हमीरपुर को दिनांक-28/08/2020 से 06 माह के लिए जिला बदर किया गया है।

थाना सिसोलर-

3) शिशुपाल पुत्र रामबाबू सिंह निवासी ग्राम छोटा लेवा थाना सिसोलर जनपद हमीरपुर को दिनांक-21/08/2020 से 06 माह के लिए जिला बदर किया गया है।

थाना मुस्करा-

4) नीलू पुत्र प्रभू श्रीवास निवासी कस्बा व थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर को दिनांक-28/08/2020 से 06 माह के लिए जिला बदर किया गया है।

थाना चिकासी-

5) शैलेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र राम प्रताप सिंह निवासी ग्राम जिगनी थाना चिकासी जनपद हमीरपुर को दिनांक-28/08/2020 से 06 माह के लिए जिला बदर किया गया है।

थाना मझगवां-

6) राजाराम पुत्र सुखनंदन निवासी ग्राम टोलारावत थाना मझगवां जनपद हमीरपुर को दिनांक-21/08/2020 से 06 माह के लिए जिला बदर किया गया है।

7) अजीत सिंह पुत्र राधाचरण लोधी निवासी ग्राम गौहानी थाना मझगवां जनपद हमीरपुर को दिनांक-28/08/2020 से 06 माह के लिए जिला बदर किया गया है।